एम.सी.डब्ल्यू/१६६/२०१२-१४

▶ वर्ष: २५
▶ अंक २५६
▶ मुंबई, गुरुवार
▶ ९ नवंबर २०१७
▶ पेज १६
▶ मूल्य: ₹ २

दोपहर का
सामना
गौरवशाली २५ वर्ष

संस्थापक संपादक : बाल ठाकरे

डॉक्टरों ने किया सरकारी बांड का विरोध

सामना संवाददाता / मुंबई

हाल ही में वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (डीएमईआर) ने बॉन्ड को लेकर एक फरमान सुनाया। इस फरमान में वर्ष २००५ से २०१२ तक सरकारी कॉलेजों में डॉक्टरी की पढ़ाई कर सफल होने के बाद एक साल का बॉन्ड पूरा न करनेवाले डॉक्टरों को जुर्माना भरने का फरमान सुनाया है। ऐसा न करने पर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसल करने की बात भी कही है। ऐसे में डॉक्टर के संगठन 'बीइंग डॉक्टर' सरकार के इस फरमान को तानाशाही फरमान बताया है।

बता दें कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करनेवाले सभी डॉक्टरों को एमबीबीएस व पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पोस्टिंग अनुसार किसी भी सरकारी, जिला व प्राथमिक अस्पताल में एक साल काम करना होता है। डीएमईआर ने हाल ही में बताया कि लगभग ४,५०० डॉक्टरों ने बॉन्ड पूरा नहीं किया और उन्हें १० लाख से लेकर २ करोड़ रुपए तक जुर्माना भरना होगा वरना उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इस फैसले से नाराज 'बीइंग डॉक्टर' के डॉ. दीपक चतुर्वेदी ने कहा कि १० साल बाद सरकार अब उठी है। हमें पोस्टिंग नहीं दी गई तो बॉन्ड कैसे पूरा करें यह सरकार की गलती है। हमारा भी भविष्य, परिवार व अन्य जिम्मेदारियां हैं। अब अचानक से यह फरमान सरकार की तानाशाही है। हम जल्द कोर्ट में इस मामले को लेकर जाएंगे और एक समिति गठित करने की मांग करेंगे ताकि इस समस्या का उचित हल निकले।

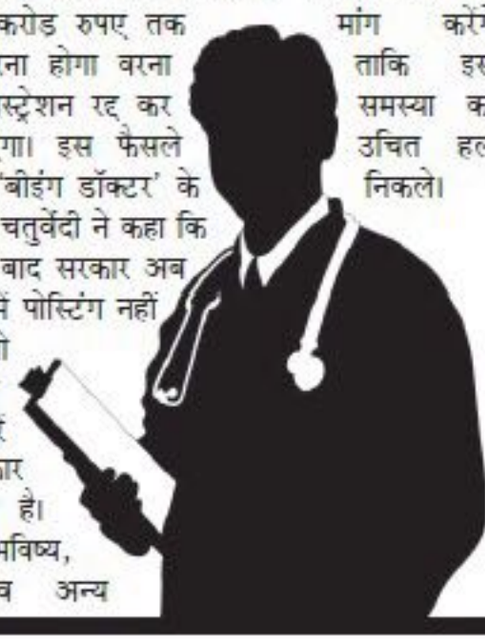

MUKHYA

e

The e-pr
Hindustan T
on 08-11-20
Mukhya Mar
(for an estim
lakh) has be